संख्या-15/2026/आई/1236284/2026/65-2099/108/2022

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी, 2026

**विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानसिक मंदित आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजनान्तर्गत स्वीकृत एम0 आर0 होम एवं हॉफ वे होम के अनुदान प्रस्तावों के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी-3745 दिनांक 22 दिसम्बर, 2025, सी-3743 दिनांक 22 दिसम्बर, 2025, सी-3744 दिनांक 22 दिसम्बर, 2025, सी-3810 दिनांक 25 दिसम्बर, 2025, सी-3872 दिनांक 30 दिसम्बर, 2025, सी-3911 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3914 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3918 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3915 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3917 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3913 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3909 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3919 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3908 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3920 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025, सी-3988 दिनांक 05 जनवरी, 2026, सी-3990 दिनांक 05 जनवरी, 2026, सी-4167 दिनांक 16 जनवरी, 2026 एवं सी-4168 दिनांक 16 जनवरी, 2026 के संदर्भ के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-2235-02-101-11-मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय किश्त के रूप में निम्न प्रस्तर-2 में अंकित विवरणानुसार **एम0आर0 होम की 15 स्वैच्छिक संस्था को रू0 1,45,41,120/- (रू0 एक करोड़ पैंतालीस लाख इकतालीस हजार एक सौ बीस मात्र) एवं हॉफ वे होम की 04 स्वैच्छिक संस्थाओं को रू0 34,61,760/- (रू0 चौतीस लाख इकसठ हजार सात सौ साठ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रु0 1,80,02,880/- (रु0 एक करोड़ अस्सी लाख दो हजार आठ सौ अस्सी मात्र)** की धनराशि निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) जिस कार्य/मद में वित्तीय स्वीकृति की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा और इसका समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(ii) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा ।

(iii) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(iv) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है,तो उसका उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(v) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशकृतीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(vii) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(viii) उक्त योजनान्तर्गत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को जो अनुदान राशि की द्वितीय किश्त निर्गत की जा रही है, उनके द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उनके सुसंगतता के परीक्षण का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(x) उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 369 एच के अनुसार शासन को अवश्य उपलब्ध कराये जाने तथा निर्गत अनुदान का लेखा सम्परीक्षा कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को तत्समय उपलब्ध कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xi) प्रश्नगत धन के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं की सोशल आडिट करा ली गयी है तथा सोशल आडिट के क्रम में ही अपेक्षित अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

(xii) प्रश्नगत धन के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय गृहों में निवासरत संवासियों का एक बार पुन: मिलान कर लिया गया है।

(xiii) वित्त विभाग के समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं इस शासनादेश में अंकित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) भौतिक लक्ष्यों की पुष्टि और लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की द्विरावृत्ति के लिये निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(xv) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(xvi) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा जायेगा।

**(xvii) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(xviii) 10 जनपदों में संचालित हॉफ वे होम की क्रास चेकिंग (दूसरे मण्डल के अधिकारियों द्वारा) कराकर रिपोर्ट 01 माह में उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(xix) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित समस्त मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्रों का पंजीकरण उ0प्र0 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. उक्त कार्य हेतु एम0आर0 होम की 15 स्वैच्छिक संस्था का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 में)

| क्र.सं. | जनपद का नाम जहॉ एम0आर0 होम संचालित हैं | स्वैच्छिक संस्था का नाम व पता | अनुदान समिति की बैठक में लिये गये निणर्यों के क्रम में स्वीकृत धनराशि | प्रथम किस्त (60 प्रतिशत) की निर्गत धनराशि | द्वितीय किस्त हेतु देय अवशेष (40 प्रतिशत) धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | बरेली | उपासना जन कल्याण सेवा समिति, ग्राम-मधुपुरी, पो0-दिगोई, तहसील आंवला, बरेली | रू0 24,24,780/- | रू0 14,54,868/- | रू0 9,69,912/- |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | बरेली | शकुन्तला देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम-मधुपुरी, पो0-दिगोई, तहसील-आंवला, बरेली द्वारा बी0डी0ए0 कालोनी, मनकारानगर, बरेली में संचालित | रू0 23,38,740/- | रू0 14,03,244/- | रू0 9,35,496/- |
| 3 | बरेली | आस्था समाज सेवा संस्थान, मकान संख्या-175, मनकारानगर, निकट- बी0डी0ए0 कालोनी, बदायूँ रोड, बरेली | रू0 22,31,460/- | रू0 13,38,876/- | रू0 8,92,584/- |
| 4 | सुल्तानपुर | रूरल इनफारमेटिव एण्ड सोशल हारमोनी एकेडमी, ग्राम व पो0-भाई सराय, सुल्तानपुर | रू0 23,34,060/- | रू0 14,00,436/- | रू0 9,33,624/- |
| 5 | कन्नौज | लकी हेल्थ डेवलेपमेन्ट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, आजाद नगर, गुरसहायगंज, कन्नौज | रू0 33,27,840/- | रू0 19,96,704/- | रू0 13,31,136/- |
| 6 | लखनऊ | स्नेह वेलफेयर सोसाइटी, 9/79, इन्दिरा नगर, लखनऊ | रू0 21,75,120/- | रू0 13,05,072/- | रू0 8,70,048/- |
| 7 | बदायूँ | विकलांग कल्याण सेवा समिति, वजीरगंज, बदायूँ द्वारा मो0 गोपालपुर, तहसील-बिसौली, बदायूँ | रू0 21,10,140/- | रू0 12,66,084/- | रू0 8,44,056/- |
| 8 | आजमगढ़ | कैलाशी महिला विकास समिति, ग्राम-ध्यानीपुर, पो0-लोहरा, अतरौलिया, तहसील-बूढनपुर, आजमगढ़ | रू0 30,02,580/- | रू0 18,01,548/- | रू0 12,01,032/- |
| 9 | लखनऊ | पाल मर्सी होम, ब्रहम विद्या मन्दिर, 1393 एल्डिको-2 रायबरेली रोड, लखनऊ | रू0 27,48,960/- | रू0 16,49,376/- | रू0 10,99,584/- |
| 10 | बदायूँ | प्रभात ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम-बहोड़ा खेड़ा, तहसील-आंवला, बरेली द्वारा कृष्णा कालोनी, बिसौली, बदायूँ में संचालित | रू0 23,54,760/- | रू0 14,12,856/- | रू0 9,41,904/- |
| 11 | बदायूँ | लक्ष्मी नारायण ग्रामोद्योग विकास समिति, मो0 ठाकुरान, नई बस्ती, होली चौक, बिसौली, बदायूँ द्वारा मीरा जी चौकी, बदायूँ में संचालित | रू0 22,19,220/- | रू0 13,31,532/- | रू0 8,87,688/- |
| 12 | बदायूँ | सर्व हिताय संस्थान, मो0 महाराजनगर, निकट जल निगम कालोनी, बदायूँ | रू0 21,74,940/- | रू0 13,04,964/- | रू0 8,69,976/- |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | रामपुर | असीम समाज सेवा संस्थान, पो0-कस्बा, पोस्ट-शाहबाद, रामपुर | रू0 22,71,240/- | रू0 13,62,744/- | रू0 9,08,496/- |
| 14 | रामपुर | मिलन ग्रामीण जन कल्याण समिति, ग्राम गंगा कला, पो0 अनवरिया, तहसील-विलासपुर | रू0 23,04,900/- | रू0 13,82,940/- | रू0 9,21,960/- |
| 15 | फर्रूखाबाद | देवी अहिल्याबाई एजूकेशन फाउण्डेशन, गढ़िया ढिलावल, पो0 भोपत पट्टी, जनपद-फर्रूखाबाद | रू0 23,34,060/- | 14,00,436/- | रू0 9,33,624/- |
| योग | | | रू0 3,63,52,800/- | रू0 2,18,11,680/- | रू0 1,45,41,120/- |

हॉफ वे होम के 04 प्रस्तावों का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 में)

| क्र.सं. | जनपद का नाम जहॉं हॉफ वे होम संचालित हैं | स्वैच्छिक संस्था का नाम व पता | अनुदान समिति की बैठक में लिये गये निणर्यों के क्रम में स्वीकृत धनराशि | प्रथम किस्त (60 प्रतिशत) की निर्गत धनराशि | द्वितीय किस्त हेतु देय अवशेष (40 प्रतिशत) धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | बरेली | यू0पी0 भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, 2/352, सेक्टर-2, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ द्वारा शिवधाम कालोनी, लाल फाटक, बदायूँ रोड, बरेली | रू0 21,83,940/- | रू0 13,10,364/- | रू0 8,73,576/- |
| 2 | आजमगढ़ | पूर्वान्चल सोशल डेवलेपमेंट सोसाइटी, युसूफपुर बाजार, तहसील- मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर द्वारा ग्राम-फकरूद्दीनपुर, पोस्ट- सठियॉव, तहसील-सदर, आजमगढ़ में संचालित | रू0 21,79,260/- | रू0 13,07,556/- | रू0 8,71,704/- |
| 3 | आगरा | दीपजन कल्याण समिति, 15 कृष्णायन कालोनी, डेलीपार, बरेली | रू0 22,37,580/- | रू0 13,42,548/- | रू0 8,95,032/- |
| 4 | बदायूँ | यू0पी0 भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, 2/352, सेक्टर-2 जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ द्वारा घटपुरी बिनावर, बदायूँ में संचालित | रू0 20,53,620/- | रू0 12,32,172/- | रू0 8,21,448/- |
| योग | | | रू0 86,54,400/- | रू0 51,92,640/- | रू0 34,61,760/- |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-11-मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-4-198-X-2025-26 **दिनांक** 04.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, बरेली, सुल्तानपुर, कन्नौज, लखनऊ, बदायूॅं, आजमगढ़, रामपुर, फर्रूखाबाद तथा आगरा।
8. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बरेली, सुल्तानपुर, कन्नौज, लखनऊ, बदायूॅं, आजमगढ़, रामपुर, फर्रूखाबाद तथा आगरा।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-3।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।